संख्या-25/2015/540/59-2-2015-140/(खा)/2007

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांकः 10 जुलाई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी0एस0पी0) हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक 29-32/खा0ग्रा0बो0/टी0एस0पी0प्रशि0/पीयूसी पत्रा0-14-15/2015-16 दिनांक 5-05-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1,00,000.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निदेश्क कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के तहत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, के पत्र संख्या-1425/का0नि0प्र0/26-3-2013-13(21)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को एकमुश्त आहरित न कर आश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध योजना की गाईड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इत्तर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे.

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या -81 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष् " 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण-20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या- 07/26-ब0प्र0, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या- 25/2015/540(1)/59-2-2015-140(खा)/2007 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण उ0प्र0शासन।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग3/वित्त(आय व्ययक)अनुभाग1/नियोजन अनुभाग4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्तीय एवं लेखाधिकारी,, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ।
10-एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ /गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

N.Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-25/2015/540/59-2-2015-140(खा)/2007, दिनांक- 10 जुलाई, 2015 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी.एस.पी.) आयोजनागत मद के अन्र्तगत अनुदान संख्या-83 में प्रावधानित धनराशि रू0 1.00 लाख का केन्द्रवार/जनपदवार आवंटित धनराशि का फॉट विवरण;-

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि	प्रशिक्षण समापन की तिथि
1.	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज लखनऊ	1,00,000.00	13	02.09.2015	16.09.2015

(रूपये एक लाख मात्र)

N.Sri
(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in